

# कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।



(वन भवन, सोनारी, जमशेदपुर-831011)

दूरभाष संख्या एवं फ़ैक्स - 0657-2223430, ई-मेल - cf-jamshedpur@gov.in



जहाँ है हरियाली ।  
वहाँ है सुरक्षाहीन ।

पत्रांक : E-03/2018-

दिनांक :

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :-

धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 265 दिनांक 09.04.2020, पत्रांक 199 दिनांक 02.03.2022 एवं पत्रांक 555 दिनांक 27.06.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक 442 दिनांक 05.03.2022, पत्रांक 1067 दिनांक 13.06.2022, पत्रांक 1170 दिनांक 24.06.2022 एवं ज्ञापांक 1843 दिनांक 07.07.2022
3. इस कार्यालय का पत्रांक 52 दिनांक 08.01.2022 एवं पत्रांक 716 दिनांक 25.06.2022
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर का पत्रांक 1329 दिनांक 25.06.2022 एवं पत्रांक 1566 दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत पृच्छा

संख्या 2, 3 एवं 5 तथा कंडिका 3 एवं 4 का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

पृच्छा सं०	पृच्छा	प्रासंगिक पत्रों द्वारा समर्पित अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर के स्तर पर निराकरण	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के स्तर पर निराकरण
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न कर समर्पित किए गये Part-II ऑफलाईन एवं भरे गए ऑनलाईन Part-II के क्रमांक 13 "Specific Recommendation of DFO" अंकित टिप्पणी विरोधात्मक है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के Part-II में Specific Recommendation of DFO को पुनः अंकित कर अलग से समर्पित किया जायेगा।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्ताव के Part II के क्रमांक 13 में "Specific Recommendation of DFO" की हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-1) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा पुनरीक्षित स्थल जॉघ प्रतिवेदन को Parivesh Portal में Online upload कर दिया गया है। पुनरीक्षित स्थल जॉघ प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-2)	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का Revised "Specific Recommendation of CF" की हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-2A) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पुनरीक्षित स्थल जॉघ प्रतिवेदन को Parivesh Portal में Online upload कर दिया गया है। पुनरीक्षित स्थल जॉघ प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-2B)
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा भरे गए Part -II ऑफलाईन में Rare /Endangered/ Unique species के नाम का उल्लेख किया गया है किन्तु Online part-II में क्रमांक 8(v) में "yes" अंकित है परन्तु Details उल्लेख नहीं है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Online part-II में क्रमांक 8(v) में "yes" अंकित करते हुए Details उल्लेख कर दिया गया है।	Online part-II के क्रमांक 8(v) में "yes" अंकित कर Details उल्लेखित कर दिया गया है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा Online part-II के क्रमांक 8(v) में "yes" अंकित कर Details उल्लेखित कर दिया गया है। उल्लेखित Details की हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-3)

5	प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल के पत्रांक 1329 दिनांक 25.06.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यालय पत्रांक 1204 दिनांक 08.06.2022 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति समर्पित करने हेतु स्मार दिया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के संबंध में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र एवं ग्राम सभा की प्रति अब तक समर्पित नहीं की गई है। वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को जमशेदपुर वन प्रमंडल के पत्रांक 1563 दिनांक 23.07.2022 द्वारा पुनः स्मार दिया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दिया जाएगा।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के संबंध में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र एवं ग्राम सभा की प्रति अब तक समर्पित नहीं की गई है। वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को जमशेदपुर वन प्रमंडल के पत्रांक 1563 दिनांक 23.07.2022 द्वारा पुनः स्मार दिया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दिया जाएगा।
---	--	--	--	---

### कंडिका 3 एवं 4 के अनुपालन के क्रम में :-

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाले Form-A, Part-I को Additional Documents के रूप में Online upload कर दिया गया है जिसकी हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-4)

प्रस्ताव से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अद्यतन Part-II को Online upload कर दिया गया है जिसकी हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियाँ में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-5)

4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कंडिका 4 के अनुपालन हेतु Part-II Online filled Form के क्रमांक 13 Upload Additional Document के Remarks column में प्रत्येक अभिलेख (Document) का ब्यौरा अंकित कर दिया गया है जिसकी हार्ड कॉपी 07 (सात) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न है। (अनु०-6)

लंबित पृच्छाओं एवं आपत्तियों के अनुपालन हेतु वांछित निराकरण प्रतिवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन समर्पित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि अनुपालन के आलोक में प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त-07 प्रतियों में।

आपका विश्वासी

ह०/-

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

ज्ञापांक :- 889

दिनांक :- 05-08-2022

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 199 दिनांक 02.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

*Handwritten signature*  
वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर